पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 356/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.11.2024 को थाना सिधारी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शाहगढ़ में लूट व चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से लूट के जेवरात (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपयें), अवैध असलहा, कारतूस व 11 हजार रूपयें नकदी बरामद किया गया है।

थाना- सिधारी:शाहगढ़ में लूट व चोरी की घटना सहित 03 घटनाओं का सफल अनावरण; लूट के जेवरात (कीमत लगभग 1.5 लाख रूपयें), अवैध असलहा कारतूस व 11 हजार रूपयें नकदी के साथ 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि वादी दिनांक 03.11.2024 को वादी मुकदमा श्री इन्द्रेश गोंड पुत्र महेश गोंड ग्राम पुनापार थाना घोसी जिला मऊ हाल पता- ननिहाल उमेश गोंड पुत्र खुरचन गोंड ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांकित 03/11/24 बावत दिनांक 03/11/24 समय रात्रि 2.00-3.00 बजे के मध्य तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात घर के पीछे से चैनल का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और वादी स्वंय की नानी को मारने पीटने लगें शोर सुनकर वादी व वादी स्वंय की मामी जागकर बीच-बचाव करने गये तो वे सब मिलकर वादी तथा वादी की मामी को डण्डे से मारने पीटने लगे जिससे काफी चोट आ गयी तथा बक्सा तोड़कर उसमें रखे वादी की मामी के 13 थान सोने का एंव 8 थान चांदी का एंव नानी का 3 थान सोने का व 2 थान चांदी का गहना व पांच बैग व दो अटैची उठा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीरी के आधार पर मु0अ0सं0- 0428/2024 धारा 331(4),309(6) बी0एन0एस0 बनाम 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना वीरेन्द्र कुमार प्र0नि0 थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी सिधारी को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 19/11/2024 को प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 3/11/2024 को शाहगढ में जो लूट की घटना कारित किये हैं वे अपराधी इस समय माल के साथ कहीं बाहर जाने की फिराक में बैठौली पुल से कुछ पहले दाहिने तरफ रास्ते पर खडे होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं यदि जल्दी करें तो अपराधी माल के साथ पकडे जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर अभियुक्त 1.टेनी उर्फ सरताज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आविद साकिन आदर्श नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष, 2. शेरु उर्फ मो0 महफुज पुत्र मो0 अजीज निवासी खास बाजार थाना जियनपुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को *एक अदद मंगलसूत्र पीली धातू, एक अदद करधन सफेद धातू, एक अदद अंगूठी पीली धातू, एक अदद विछिया ,एक अदद पायल सफेद धातू,*एक अदद मंगलसुत्र का लाकेट पीली धातु व एक जोडी पायल सफेद धातु,एक अदद तमंचा 305 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद तमंचा 305 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 11 हजार रूपयें के साथ बैठौली पुलिया के पास से समय 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 449/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग लूट चोरी करते हैं और उसमे जो पैसा व जेवरात मिलता है आपस में बांट लेते हें। तमंचा हम लोग लोगों को डराने के लिए रखते हैं। दिनांक 03/11/2024 की रात्रि में शाहगढ बाजार से कुछ दुर पहले ही विहरोज पुर जाने वाले रास्ते पर स्थित एक घर में मैं तथा शेरू व शालिम पुत्र इजहार साकिन बासुपुर थाना जियनपुर हाल पता देवली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ व नदीम पुत्र अकरम साकिन देवापार थाना जियनपुर जनपद आजमगढ नें मिलकर चैनल का ताला तोडकर घर में घुसे जैसे ही हम लोग घर में घुसे वैसे ही एक बुढी औरत जग कर शोर करने लगी जिसपर हम लोगों नें उसे मारकर गिरा दिया और उसके बाद पुनः एक और औरत व एक लडका जग गये और शोर करने लगे उन लोगों को भी मारपीट कर घायल कर एक किनारे कर कमरे के अंदर रखा आलमारी व बक्शे का ताला तोडकर

उसमें रखा जेवरात व नगदी चोरी किये थे। उससे पहले दिनांक 07/10/2024 को रात्रि में हम चारों नें शाहगढ से समेदा जाने वाले रास्ते पर सुनसान में स्थित घर में घुसकर चोरी किये थे जिसमें जेवरात व कुछ नगदी मिले थे। तथा उसके दो चार दिन बाद ही दिनांक 12/10/2024 को रात्रि में मुवारकपुर क्षेत्र के ग्राम सुराई में रेलवे लाइन के किनारे सुनसान में स्थित मकान में रात्रि में सीढी के रास्ते घऱ में घुसकर आलमारी को तोडकर जेवरात चोरी किये थे। जो घटनायें हम लोग करते हैं उसके तुरन्त बाद अगले दिन ही जेवरात व पैसों का बंटवारा आपस में बराबर बराबर कर लेते हैं।

पंजीकृत अभियोग–

449/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1.टेनी उर्फ सरताज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आविद साकिन आदर्श नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 24 वर्ष

2. शेरु उर्फ मो0 महफुज पुत्र मो0 अजीज निवासी खास बाजार थाना जियनपुर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष

बरामदगी -

एक अदद मंगलसूत्र पीली धातू, एक अदद करधन सफेद धातू व 10000 रुपया नगद संबन्धित मु0अ0सं0 428/24 धारा 331(4)/309(6)/117(2)/317(2) बीएनएस

एक अदद अंगूठी पीली धातू, एक अदद विछिया ,एक अदद पायल सफेद धातू व 1000 रुपया नगद सम्बन्धित मु0अ0स0 387/24 धारा 305/317(2) बीएनएस

एक अदद मंगलसुत्र का लाकेट पीली धातु व एक जोडी पायल सफेद धातु संबन्धित मु0अ0सं0 402/24 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

एक अदद तमंचा 305 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व गिरफ्तारी 02 नफर अभियुक्त अंतर्गत धारा 331(4)/309(6)/117(2)/317(2)/305 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ

फरार अभियुक्त-

1-शालिम पुत्र इजहारनिवासी बासूपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ हाल पता देवली थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

2. नदीम पुत्र अकरम निवासी देवापार थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - टेनी उर्फ सरताज

1.मु0अ0सं0- 325/14 धारा 109/41 सीआरपीसी थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 101/23 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 154/24 धारा 2(b)(i),3(i) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़

4.मु0अ0सं0- 264/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

5.मु0अ0सं0- 410/20 धारा 401 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

6.मु0अ0सं0- 411/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

7.मु0अ0सं0- 659/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

8.मु0अ0सं0- 72/19 धारा 323/379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

9.मु0अ0सं0- 366/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शेरू उर्फ मो0 महफूज

1.मु0अ0सं0- 338/24 धारा 115(2),118(1),351(2),352 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एससी एसटी एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 648/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 683/22 धारा 380/411/454 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

4.मु0अ0सं0- 84/22 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

5.मु0अ0स0- 548/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. वीरेन्द्र कुमार प्र0नि0 थाना सिधारी मय हमराह जनपद आजमगढ़

2. निरी0 नन्द कुमार तिवारी प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आजमगढ़

3. उ0नि0 संजय सिंह प्रभारी एसओजी द्वितीय मय टीम जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस